<u>कार्यकारी परिषद की दिनांक 21 नवंबर 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न बराद सदन,शैक्षणिक ब्लॉक, सिक्किम विश्वविद्यालय, के सभा-कक्ष में आयोजित 26वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

कार्यकारी परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर 2016 को 11 बजे पूर्वा. बराद सदन के सभा कक्ष में आयोजित की गई थी । निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो टी.बी.सुब्बा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. चेतन सिंह, निदेशक आई आई ए एस, शिमला	-	सदस्य
3.	श्री कमल काफ्ले, सचिव (सेवानि.) पाक्योंग, सिक्किम	-	सदस्य
4.	डा. श्री राधा दत्ता, निदेशक, एम ए के आई ए एस, कोलकाता	-	सदस्य
5.	श्री जितेन्द्र सिंह राजे, निदेशक (एच ई) एच आर डी डी, सिक्किम सरकार, प्रधान सचिव, एच आर आर डी डी का प्रतिनिधित्व किया)	-	सदस्य
6.	डा0 बापुकन चौधरी, एन्थ्रोपोलॉजी विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय	-	सदस्य
7.	प्रो0 इर्शाद गुलाम अहमद, डीन , भाषाएं एवं साहित्य स्कूल	-	सदस्य
8.	प्रो0 वी. रामादेवी, डीन व्यवसायिक अध्ययन स्कूल	-	सदस्य
9.	प्रो0 इम्तियाज गुलाम अहमद, डीन सामाजिक विज्ञान स्कूल	-	सदस्य
10.	डा0 सुबीर मुखोपाध्याय, डीन भौतिक विज्ञान स्कूल	-	सदस्य
11.	प्रो0 प्रताप चंद्र प्रधान, नेपाली विभाग	-	सदस्य
12.	डा0 नवल के पासवान, एसो. प्रोफेसर, शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन	-	सदस्य
13.	श्री पी.के.सिंह, वित्त अधिकारी	-	सदस्य
14.	श्री पी.के सिंह, वित्त अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित
15.	श्री टी.के. कौल, कुलसचिव	-	सदस्य

प्रो0 चेतन सिंह, श्री टी आर पौड़याल, आई एफ एस (सेवानिवृत्त), प्रो0 घनश्याम नेपाल, प्रो0 अमरेश दुबे, प्रो0 एस मणिवन्नान अपनी पूर्व कार्यव्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, तथा अनुपस्थिति हेतु छुट्टी चाहा है ।

डा0 सुरेश कुमार गुरूंग, संयुक्त रजिस्ट्रार ,शैक्ष.) एवं श्री श्याम राणा, सहायक परिषद की सहायता हेतु उपस्थित थे ।

आरंभ में अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । तत्पश्चात कार्यसूची मदों पर चर्चा आरंभ की गई :

भाग - 1

कार्यवृत्तएवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

ई.सी. 26.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 10जून2016को आयोजित 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यकारी परिषद की दिनांक **10जून** 2016 को आयोजित 25वीं बैठक के कार्यवृत्त का परिचालन दिनांक 21 जून 2016 को सभी सदस्यों के बीच किया गया था । परिषद के कसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यकारी परिषद की दिनांक **21 जून** 2016 को यथापरिचालित 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई ।

ई.सी. 26.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक **10जून** 2016 को आयोजित 25वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव नेकार्यकारी परिषद की 25वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की । परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया ।

भाग - 2

रिपोर्टिंग मदें

ई.सी. 26.2.1: डा0 पी. राजा को एसोसिएट प्रोफेसर के पद नियुक्ति हेतु प्रस्ताव का निरस्तीकरण तथा प्रतीक्षासूची में अगले अभ्यर्थी की नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि डा0 पी राजा को बागवानी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया गया था) परंतु वे निर्धारित समय के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे । अत: उसके प्रस्ताव को दिनांक 5 फरवरी 2016 को निरस्त कर दिया गया । पैनल में प्रतीक्षा सूची वैध था तथा प्रतीक्षा सूची में अगले अभ्यर्थी, अर्थात डा0 निलाद्री बाग को प्रस्ताव जारी किया गया, जिन्होंने विश्वविद्यालय में 10 फरवरी 2016 को कार्यभार ग्रहण किया ।

ई.सी. 26.2.2:
ई.सी. 26.2.3: **श्री कमल सुब्बा, यू डी सी की सहायक में तथा श्री गगन सेन छेत्री, एल डी सी को यू डी सी में पदोन्नति**

परिषद ने नोट किया कि श्री कमल सुब्बा एवं श्री गगन सेन छेत्री ने यू डी सी से सहायक(कमल सुब्बा के मामले में) तथा एल डी सी से यू डी सी (गगन सेन छेत्री के मामले में) में पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता मानदंड भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली, 2016 की अधिसूचना के पूर्व पूरी कर ली है । अत: उन्हें पूर्ववर्ती भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली के आधार पर विचार किया गया तथा क्रमश: सहायक एवं यू डी सी के पद पर विनिर्दिष्ट पद्धतियों का अनुसरण करते हुए पदोन्नत किया गया। दोनों ने दिनांक 28.07.2016(पूर्वा0) को नए पदों पर कार्यभार ग्रहण किया ।

ई.सी. 26.2.4: यांग्यांग स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय कैंपस का निर्माण एवं विकास

परिषद को यांग्यांग,स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय कैंपस के निर्माण एवं विकास पर अद्यतन जानकारी दी गई तथा सूचित किया गया कि मेसर्स एन सी सी लि0 को फेज - 1 के पैकेज -1 के निर्माण हेतु कार्य अवार्ड किया गया है, जो कि न्यून्तम निविदाकर्ता था ।

इसमें प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय भवन एवं संकाय भवन आवश्यक आंतरिक जलापूर्ति सहित, विद्युतीय कार्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक जोन एवं विभिन्न अवस्थानों पर गेट का बाह्य विकास कार्य सम्मिलित हैं ।

टेबल मदें

ई.सी. 26.2.5: सी ए बी आई ई- यू के के साथ सहभागिता अनुबंध का विस्तार

परिषद को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय सी ए बी आई ई-यू के (एक यू के आधारित अंतर सरकारी संगठन) के साथ एक सहभागिता अनुबंध में दिनांक 1 जुलाई 2013 को बागवानी विभाग में अनुसंधान गतिविधियों को सुविधासंपन्न बनाने के लिए प्रवेश किया था । इस अनुबंध के अंतर्गत, सी ए बी आई द्वारा ₹ 3000/- की राशि की निधि अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित खर्च के लिए प्रदान की गई । यह अनुबंध दिनांक 31 दिसम्बर को 2014 को समाप्त हो गया । सहभागिता अनुबंध में दिनांक 01.04.2017 तक विस्तार करने के लिए सी ए बी आई ई यूके से उन्हीं शर्तों पर अनुरोध प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय ने समान शर्तों पर सहभागिता अनुबंध में दिनांक 1 जनवरी 2015 से 1 अप्रैल 2017 तक प्रभावी विस्तार किया । इस अवधि के दौरान सी ए बी आई चल रही अनुसंधान परियोजना के लिए ₹ 1500/- की अतिरिक्त निधि स्वीकृत करने को इच्छुक है।

भाग - 3संपुष्टि हेतु मामले

ई.सी. 26.3.1: डा0 नयनी बासु की सहायक प्रोफेसर के पद से निकासी तथा प्रतीक्षा सूची में अगले अभ्यर्थी की नियुक्ति ।

परिषद ने कुलपति द्वारा डा0 नयनी बासु से समाजशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद से दिनांक 12 अगस्त 2016 (अप0) से पदत्याग को स्वीकार करने तथा प्रतीक्षा सूची में अगले अभ्यर्थी, अर्थात श्रीमती सोना राई को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 16 सितम्बर 2016 को नियुक्ति का प्रस्ताव देने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 26.3.2: लाइब्रेरियन की संवीदा आधार पर नियुक्ति में विस्तार

परिषद ने कुलपति द्वारा प्रो0 ए.एस. चंदेल की संवीदा आधार पर नियुक्ति में दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से छः माह की अवधि तक वर्तमान शर्तों एवं निबंधनों पर विस्तार करने की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 26.3.3: एडजंक्ट संकाय के रूप में सेवा में विस्तार।

परिषद ने कुलपति द्वारा प्रो0 के.के. जिंदल की बागवानी विभाग में एडजंक्ट संकाय के रूप में नियुक्ति में वर्तमान शर्तों एवं निबंधनों पर ऑड सेमेस्टर, 2016 तक विस्तार करने की कार्रवाई की पुष्टि की ।

ई.सी. 26.3.4: डा0 प्रवीण कार्की का सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से पदत्याग

परिषद ने कुलपति द्वारा डा0 प्रवीण कार्की का सहायक लइब्रेरियन के पद से दिनांक 26 सितम्बर 2016 (अप0) से दी गई सूचनाअवधि की समाप्ति पर पदत्याग को स्वीकार करने की कार्रवाई की संपुष्टि की । डा0 प्रवीण कार्की के पदत्याग से हुई लाइब्रेरियन पद की रिक्ति को पुनर्विज्ञापित किया जाएगा ।

ई.सी. 26.3.5: गैर शिक्षण कर्मचारियों की परीविक्षा अवधि का समापन, जिनकी कार्यकारी परिषद द्वारा संपुष्टि आवश्यक है ।

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वर्ष 2012 में उनके विरूद्ध दर्शायी गई तारीख से विश्वविद्यालय की सेवा में पुष्टि कर ली गई है । यह कार्यकारी परिषद द्वारा संपुष्टि की शर्त पर था । पुष्टिकरण हेतु उनके मामले को असावधानी के कारण कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु नहीं लाया जा सका:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख	पुष्टि की तारीख
1.	डा0 सुरेश कुमार गुरूंग	उप रजिस्ट्रार (अब संयुक्त रजिस्ट्रार)	15.11.2010	15.11.2012
2.	श्री चंदन तालुकदार	उप रजिस्ट्रार (अब संयुक्त रजिस्ट्रार)	29.11.2010	29.11.2012
3.	सुश्री ग्रेस डेचेन चांकपा	सहायक रजिस्ट्रार	10.11.2010	10.11.2012
4.	श्री सी.बी छेत्री	सहायक रजिस्ट्रार	12.11.2010	12.11.2012
5.	श्री सत्यम राणा	सहायक	11.11.2010	11.11.2012
6.	श्री कमल सुब्बा	सहायक	12.11.2010	12.11.2012
7.	श्री गगन सेन छेत्री	यू डी सी	11.11.2010	11.11.2012
8.	श्री अरूण थापा	एल डी सी	22.11.2010	22.11.2012

परिषद ने उपर वर्णित विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों की पुष्टि की प्रत्येक के विरूद्ध दर्शाई गई तारीख से संपुष्टि की तथा इसने यह भी नोट किया कि उस समय सभी गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए परीविक्षा अवधि दो वर्षों की थी ।

ई.सी. 26.3.6: भुटिया, लेप्चा एवं लिंबु विभागों में संकाय सदस्यों की नियुक्ति:

परिषद ने नोट किया कि यू जी सी द्वारा इनके 9 जून 2016 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को लेप्चा, लिंबु एवं भुटिया भाषाओं में एम.ए कार्यक्रम आरंभ करने के अनुमोदन की सूचना दी गई है तथा इनमें से प्रत्येक विभाग में चार संकाय सदस्यों की स्वीकृति की गई है ।

परिषद ने कुलपति द्वारा लेप्चा, लिंबु एवं भुटिया विभागों में संवीदा आधार पर निम्नलिखित संकाय सदस्यों को उनके विरूद्ध दर्शाए गए पदों एवं प्रत्येक विरूद्ध दर्शाई गई अवधि हेतु नियुक्ति करने की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

क्र.सं	विभाग	चयनित अभ्यर्थियों के नाम	पदनाम
1.		श्री भाइचुंग छिरिंग भुटिया	एसोसिएट प्रोफेसर-1 वर्ष हेतु
2.		डा0 हिस्से वांगचुक भुटिया	सहायक प्रोफेसर-1 वर्ष हेतु
3.		श्री बल बहादुर सुब्बा	अतिथि संकाय 31.10.2016 तक एसोसिएट प्रोफेसर, 01.11.2016 से
4.		सुश्री कौशिला सुब्बा	सहायक प्रोफेसर-1 वर्ष हेतु
5.		श्री तेज राज लिंबु	सहायक प्रोफेसर-1 समेस्टर हेतु

6.		श्री नोर्बु छिरिंग लेप्चा	अतिथि संकाय दिसम्बर 2016 तक/ एसोसिएट प्रोफेसर, सम सेमेस्टर 2017 से
7.		श्री काच्चो लेप्चा	सहायक प्रोफेसर-1 वर्ष हेतु
8.		सुश्री डुकमित लेप्चा	सहायक प्रोफेसर-1 समेस्टर हेतु

ई.सी. 26.3.7: रॉयल थिम्पु कॉलेज, थिम्पु, भुटान के साथ समझदारी का ज्ञापन

परिषद ने कुलपति द्वारा रॉयल थिम्पु कॉलेज, थिम्पु भुटान के साथ 17 अगस्त 2016 को समझदारी का ज्ञापन हस्ताक्षरित करने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

भाग - 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

ई.सी. 26.4.1: 12वीं योजनावधि के दौरान एम एड कार्यक्रम आंरभ करने के प्रति शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों का सृजन

परिषद ने नोट किया कि यू जी सी द्वारा 23 मार्च 2016 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित विवरणानुसार एम एड कार्यक्रम आरंभ करने के लिए शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों की स्वीकृति सूचित किया गया है । इन पदों का सृजन वित्त समिति के समक्ष इनकी 26 अगस्त 2016 की 14वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था।वित्त समिति ने कार्यकारी समिति द्वारा इन पदों के सृजन हेतु अनुशंसा की है ।

परिषद ने निम्नलिखित शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों का विश्वविद्यालय में एम एड कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सृजित किए जाने को अनुमोदित किया।

(i) शिक्षण पदें:

क्र.सं.	विभाग का नाम	शिक्षण पद	पदों की संख्या
1	शिक्षा विभाग	सहायक प्रोफेसर	4

(ii) गैर शिक्षण पदें:

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान		पदों की संख्या
		पे बैंड	ग्रेड पे	
1	व्यवसायिक सहायक	9300-34800	4200	1
2	तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)	5200-20200	2800	1
3	पुस्तकालय परिचारक	5200-20200	1800	1
4	प्रयोगशाला परिचारक	5200-20200	1800	1
			कुल	4

ई.सी. 26.4.2: 12वीं योजनावधि में लेप्चा लिंबु एवं भुटिया में एम ए कार्यक्रम आरंभ करने के लिए शिक्षण पदों का सृजन

परिषद ने नोट किया कि यू जी सी द्वारा अपने दिनांक 9 जून 2016 के पत्र के माध्यम से लेप्चा, लिंबु एवं भुटिया विभागों में निम्नलिखित शिक्षण पदों के अनुमोदन की सुचना इन विभागों में से प्रत्येक में एम ए कार्यक्रम आरंभ करने के लिए दी गई है:

क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुमोदित शिक्षण पदें			
		प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर	कुल
1	लेप्चा विभाग	1	1	2	4
2	लिंबु विभाग	1	1	2	4
3	भुटिया विभाग	1	1	2	4
	कुल	3	3	6	12

इनपदों का सृजन वित्त समिति के समक्ष उनकी दिनांक 26 अगस्त 2016 को आयोजित 14वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था । वित्त समिति ने इन पदों का कार्यकारी परिषद द्वारा सृजित किए जाने की अनुशंसा की थी ।

परिषद ने ऊपर वर्णित 12 शिक्षण पदों का विश्वविद्यालय के लेप्चा, लिंबू एवं भुटिया विभाग में सृजन का अनुमोदन किया

ई.सी. 25.4.11: शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि का समापन

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित शिक्षकों ने प्रत्येक के विरुद्ध दर्शाई गई तारीख से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है । परिषद ने यह भी नोट किया कि इनके कार्य निष्पादन की समीक्षा संबंधित रिव्युइंग प्राधिकारी द्वारा की गई है, तथा कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नोट नहीं की गई थी।

परिषद ने यथा उल्लेखित प्रत्येक के विरुद्ध तारीख से परिवीक्षा अवधि उठाए जाने तथा विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं की उनकी परीविक्षा की समाप्ति की अगली तारीख से पुष्टि किए जाने का अनुमोदन किया ।

क्र.सं	कार्मिक का नाम	पदनाम	विभाग	कार्यग्रहण की तारीख	परीविक्षा समाप्ति की तारीख
1	प्रो0 वी.रामा देवी	प्रोफेसर	प्रबंधन	10.11.2015	09.11.2016
2	ड0 कृष्णेन्दु दत्ता	एसोसिएट प्रोफेसर	संगीत	10.11.2015	09.11.2016
3	डा0 अरूण कुमार राई	सहायक प्रोफेसर	बॉटनी	17.11.2015	16.11.2016

ई.सी. 26.4.4: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षण चिकित्सा पद के संबंध में बहुवार्षिकता की आयु में अभिवृद्धि

परिषद ने नोट किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 29 जुलाई 2016 के पत्र के माध्यम से गैर शिक्षण चिकित्सा पदों एवं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी जी एच एस) के लोक स्वास्थ्य उप कैडर एवं सी एच एस के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की बहुवार्षिकता की आयु में अभिवृद्धि की सूचना दी गई है।

परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात विश्वविद्यालय में चिकित्सा पदों की बहुवार्षिकता की आयु में 65 वर्षों तक की अभिवृद्धि में एमएचआरडी के निर्देशों का अनुमोदन किया ।

ई.सी. 26.4.5: सहायक प्रोफेसरों की स्टेज ।से स्टेज ।।की सी ए एस के अंतर्गत पदोन्नति हेतु स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति कार्यवाही

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित विवरणानुसार 9 सहायक प्रोफेसरों ने सी ए एस के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर के स्टेज ।से स्टेज ।।में पदोन्नति पर विचारार्थ आवेदन प्रस्तुत किया है, तथा पाया गया था कि वे न्यूनतम योग्यता, वांछनीयता एवं एपीआई अंक पूरा करते हैं। उन्हें विधिवत गठित स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन के समक्ष अंतरवार्ता हेतु उनके विरुद्ध दर्शाई तारीख को उपस्थित होने के लिए कहा गया था । स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा प्रत्येक मामले में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया गया।

परिषद ने अपने दिनांक 8 दिसंबर 2013 को आयोजित 18वीं बैठक में सहायक प्रोफेसरों को सी ए एस के अंतर्गत पदोन्नति में पोस्ट डॉक्टरेट अनुभव का लाभ देने का निर्णय लिया था । विचारार्थ संकाय सदस्यों के बीच, डॉक्टर अजय त्रिपाठी को पोस्ट डॉक्टरेट अनुभव प्राप्त है । परिषद ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया तथा सी ए एस के अंतर्गत स्टेज ।से ।।में सहायक प्रोफेसरों की पदोन्नति में अधिकतम 1 वर्ष के पोस्ट डॉक्टरेट अनुभव पर विचार करने का निर्णय लिया । इस प्रकार डॉ अजय त्रिपाठी की योग्यता की तारीख 27 फरवरी 2016 के स्थान पर 27 फरवरी 2015 होगी।

स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर परिषद ने निम्नलिखित 9 सहायक प्रोफेसरों की सी ए एस के अंतर्गत स्टेज ।से स्टेज ।।में पदोन्नति का निम्नानुसार योग्यता की तारीखों से अनुमोदन किया:

क्र.सं.	नाम	विभाग	अंतर्वार्ता की तारीख	योग्यता की तारीख
1	डा0 अजय त्रिपाठी	भौतिकी	14.09.2016	27.02.2015
2	डा0 अर्चना तिवारी	भौतिकी	14.09.2016	27.02.2016
3	डा0 प्रदीप कुमार दास	प्रबंधन	14.09.2016	23.03.2016
4	डा0 साल्विन पॉल	शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन	14.09.2016	05.03.2016
5	डा0 सेवास्टियन एन	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	14.09.2016	27.02.2016
6	डा0 टेइबोरलांग टी खर्शिट्यु	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	14.09.2016	27.02.2016
7	डा0 सुजाता उपाध्याय	बागवानी	14.09.2016	29.03.2016
8	डा0 उत्तम लाल	भुगोल	18.10.2016	27.02.2016
9	डा0 मनोज कुमार दास	जनसंचार	02.11.2016	05.05.2016

ई.सी. 26.4.6: संविदा आधार पर प्रोफेसरों के करार अनुबंध में विस्तार

परिषद ने निम्नलिखित 2 प्रोफेसरों के करार अनुबंध में 30 जून 2017 तक 6 माह की अवधि हेतु रुपये 1,00,000/- के मासिक पारिश्रमिक पर विस्तार किया।

क्र.सं.	नाम	विभाग
1	प्रो0 विनोद चंद्र तिवारी	भुगर्भ शास्त्र
2	प्रो0 पी.के.शर्मा	गणित

ई.सी. 26.4.7: सुश्री सांगमु थेंडुप की अध्ययन छुट्टी में विस्तार

परिषद ने नोट किया कि **सुश्री सांगमु थेंडुप**, सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग को दिनांक 1 फरवरी 2016 से 31 जनवरी 2017 तक 1 वर्ष की अवधि हेतु अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई थी । उन्होंने अध्ययन छुट्टी में आगे 1 फरवरी 2017 से 31 जुलाई 2017 तक 6 माह की अवधि हेतु विस्तार का अनुरोध किया है ।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद **सुश्री सांगमु थेंडुप,**सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग के अध्ययन छुट्टी में 1 फरवरी 2017 से 31 जुलाई 2017 तक 6 माह का विस्तार का अनुमोदन किया ।

ई.सी. 26.4.8: स्थायी निधियों एवं अन्य विधियों पर विनियमावली

परिषद ने स्थायी निधियों एवं अन्य निधियों पर ड्राफ्ट विनियमावली पर विचार किया तत्पश्चात, कुछ संशोधनों के साथ कथित विनियमावली का अनुमोदन किया ।

ई.सी. 26.4.9: वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

परिषद ने विचार विमर्श के बाद कार्यसूची में यथा प्रस्तुत ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 का अनुमोदन किया । परिषद ने निर्देश दिया की वार्षिक रिपोर्ट की प्रिंटेड प्रतियां एमएचआरडी को प्रस्तुत की जाए, जो कि इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परिषद ने इच्छा व्यक्त की कि भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट के मुख्य उपलब्धियों को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी जाए ।परिषद ने यह भी सुझाव दिया की वार्षिक रिपोर्ट के शैक्षणिक अंश का आई क्यू ए सी रिपोर्ट के साथ समन्वय करने के लिए, वार्षिक रिपोर्ट को शैक्षणिक सत्र (जुलाई से जून) का अनुसरण करना चाहिए जब की वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च का अनुसरण करें ।

टेबल मदें

ई.सी. 26.4.10: गैर शिक्षण कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि का समापन वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित गैर शिक्षण कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा उनके द्वारा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर की गई है, तथा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पाई गई थी । अतः परिषद ने प्रत्येक के विरुद्ध दर्शाई गई तारीख से परीविक्षा उठाए जाने का अनुमोदन किया, तथा विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं की पुष्टि उनकी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति की अगली तारीख से की गई:

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख	परीविक्षा समाप्ति की तारीख
1.	श्रीमती रिंकु तामांग,	09.11.2015	08.11.2016

	अर्ध व्यवसायिक सहायक		
2.	श्रीमती तेंजिंग चुनी भुटिया, यू डी सी	09.11.2015	08.11.2016
3.	श्रीमती रेशु प्रधान, यू डी सी	09.11.2015	08.11.2016
4.	श्री दिनेश राई, प्रयोगशाला सहायक	09.11.2015	08.11.2016
5.	श्री नर बहादुर सुब्बा, प्रयोगशाला सहायक	09.11.2015	08.11.2016
6.	श्री तुलसी शर्मा, प्रयोगशाला सहायक	09.11.2015	08.11.2016
7.	श्री विनोद छेत्री, प्रयोगशाला सहायक	09.11.2015	08.11.2016
8.	श्री रोशन कुमार छेत्री, एल डी सी	10.11.2015	09.11.2016
9.	श्रीमती हिस्से गुरूंग, एल डी सी	10.11.2015	09.11.2016
10.	श्री ललित बहादुर गुरूंग, एल डी सी	10.11.2015	09.11.2016
11.	सुश्री सुजाता छेत्री, एल डी सी	16.11.2015	15.11.2016
12.	श्री दिवस राई, एल डी सी	16.11.2015	15.11.2016
13.	श्री सामसन मंगर, एल डी सी	18.11.2015	17.11.2016
14.	सुश्री जोशना राई, एल डी सी	18.11.2015	17.11.2016
15.	सुश्री मंजु सुब्बा, पुस्तकालय सहायक	10.11.2015	09.11.2016
16.	श्रीमती पिंकी राई, पुस्तकालय सहायक	16.11.2015	15.11.2016
17.	श्री विजय गजमेर, ड्राइवर	10.11.2015	09.11.2016
18.	श्री मनोज राई, ड्राइवर	10.11.2015	09.11.2016
19.	श्री प्रेम बहादुर छेत्री, कूक	12.11.2015	11.11.2016
20.	श्री अम्बर मंगर, मल्टी टास्किंग स्टाफ	10.11.2015	09.11.2016
21.	श्री धनश्याम शर्मा, मल्टी टास्किंग स्टाफ	10.11.2015	09.11.2016
22.	श्री लाल बहादुर छेत्री, मल्टी टास्किंग स्टाफ	10.11.2015	09.11.2016
23.	श्री कुमार मंगर, मल्टी टास्किंग स्टाफ	10.11.2015	09.11.2016
24.	श्री रिंग्जिंग नोर्बु भुटिया, मल्टी टास्किंग स्टाफ	16.11.2015	15..11.2016
25.	श्री गोपाल विश्वकर्मा, मल्टी टास्किंग स्टाफ	17.11.2015	16.11.2016
26.	श्रीमती बिमला राई, किचन परिचारक	16.11.2015	15..11.2016
27.	श्रीमती सबिना शर्मा, प्रयोगशाला परिचारक	17.11.2015	16.11.2016
28.	श्री अभिजीत राई, पुस्तकालय परिचारक	17.11.2015	16.11.2016

ई.सी. 26.4.11: सिक्किम विश्वविद्यालय गैर शिक्षण कर्मचारी संगठन का संविधान

परिषद ने विचार विमर्श के बाद सिक्किम विश्वविद्यालय गैर शिक्षण कर्मचारी संगठन के ड्राफ्ट संविधान को निम्नलिखित संशोधन के साथ कार्यसूची में दिए गए अनुसार अनुमोदन किया:

अनुच्छेद: XVI लेखा परीक्षा:

संगठन के लेखा की लेखापरीक्षा संगठन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद: IXकठिनाई का निष्कासन के अंतर्गत:

निम्नलिखित को जोड़ा जाए: ऊपर किसी बात के होते हुए भी,कुलपति विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली को सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अनुच्छेद का परिचालन निलंबित करने की शक्ति रखते हैं ।

भाग-5

प्राधिकारियों/समितियों के कार्यवृत्त

ई.सी. 26.5.1: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित 20 वीं बैठक के कार्यवृत्त

शैक्षणिक परिषद के 11 नवंबर 2016 को आयोजित 20 वीं बैठक के कार्यवृत्त को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया । व्यावसायिक अध्ययन स्कूल के डीन ने मुद्दा उठाया की एम टी टी एमका विस्तृत प्रारूप यूजीसी नामावली के अनुसार मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, जिसका की शैक्षणिक परिषद द्वारा दिए गए सुझाव के स्थान पर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।

परिषद ने निम्नलिखित मदों पर विशेष अनुमोदन प्रदान किया:

i. परिषद ने एम ए टूरिज्म प्रोग्राम को मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में परिवर्तन का अनुमोदन किया, साथ ही शैक्षणिक सत्र 2017-18 से इस कार्यक्रम के लिए व्यवसायिक शुल्क प्रभारित करने का अनुमोदन किया।
ii. अध्यादेश ओ सी-6 एवं ओ सी- 7 में अल्प संशोधनों के साथ सुधार
iii. सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु स्वर्ण पदकों का संस्थान । विश्वविद्यालय आकलित करें कि क्या फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित राशि पर्याप्त है।
iv. निदेशक एच आर डी डी ने परिषद के प्रति एक पत्र बैठक के दौरान प्रस्तुत किया, जिस पर विचार किया गया । परिषद में विचार विमर्श के पश्चात सरकारी वोकेशनल कॉलेज,देनताम को अस्थाई संबद्धता स्वीकृत किया, तथा महाविद्यालय को ए आई सी टी ई में उन पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु आवेदन करने के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने का निर्णय लिया, जो कि आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित है। परिषद ने निम्नलिखित निर्देश भी दिया :

    (क) बी वी ओ सी हेतु सिलेबस एच आर डी डी,सिक्किम सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा ड्राफ्ट की जाए तथा शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद क्या अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

(ख)बी वी ओ सी हेतु सिलेबस के अनुमोदन के पश्चात सिक्किम विश्वविद्यालयद्वारा इसकी विनियमावली ड्राफ्ट की जाएगी ।

(ग) एच आर डी डी, सिक्किम सरकार द्वारा एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी

v. बी एड पर विनियमावली (अंशकालिक)

ई.सी. 26.5.2: वित्त समिति की दिनांक 26 अगस्त 2016 को आयोजित 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त

वित्त समिति की दिनांक 26 अगस्त 2016 को आयोजित 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त का परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया ।परिषद ने निम्नलिखित मदों पर विशेष अनुमोदन प्रदान किया:

i. परिशोधित वार्षिक लेखा 2015-16

ii. वित्त समिति द्वारा सांविधिक निकायों, सांविधिक निकायों के स्थायी समितियों, चयन समितियों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अन्य समितियों के बाह्य सदस्यों के लिए अनुशंसित बैठक शुल्क का निर्धारण ।

परिशोधित प्राक्कलन 2015-16 एवं बजट प्राक्कलन 2016-17 के संबंध में मदें अध्यक्ष द्वारा वापस ले लिया गया था ।

परिषद ने यह भी सलाह दी कि वित्त विभाग:

i. आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ ए जी (लेखा परीक्षा) की अभियुक्तियों पर चर्चा करें

ii. एवंप्राप्त निधियों का बेहतर उपयोग हेतु सलाह देने के लिए एक समिति गठित करें ।

भाग-6

अध्यक्ष महोदय द्वारा मदें

ई.सी. 26.6.1: अध्यक्ष महोदय ने परिषद को सूचित किया कि एमएचआरडी ने सभी विश्वविद्यालयों को इंडस्ट्री इंटरफ़ेस संग्रह निधि स्थापित करने के लिए कहा है । यद्यपि, वित्त मंत्रालय द्वारा संग्रह निधि नहीं स्थापित करने के लिए आदेश दिया गया है। अत: हम लोग कथित संग्रह निधि के निर्माण को कुछ समय के लिए स्थगित रख सकते हैं , तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र एवं वित्त मंत्रालय के आदेश का विस्तार से परीक्षण कर सकते हैं ।

ई.सी. 26.6.2: परिषद को सूचित किया गया कि सीबीआई ए सी बी, कोलकाता से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर एक प्रारंभिक जांच-पड़ताल का संचालन उनके द्वारा किया गया, जोकि डॉक्टर विजय कुमार थांगेलापल्ली के एपीआई अंक के इस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति से संबंधित है । सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें कुछ संकाय सदस्यों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। यद्यपि रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रिपोर्ट के किसी अंश को आरटीआई माध्यम से अथवा अन्यथा प्रयोग में न लाया जाए । हमलोगों ने सीबीआई, ए सी बी, कोलकाता को एक पत्र लिखा है जिसमें रिपोर्ट को कार्यकारी परिषद के समक्ष, अनुशासनिक प्राधिकारी होने के कारण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, साथ ही सीबीआई द्वारा नामित संकाय सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में रिपोर्ट के संगत अंश का उपयोग करने की अनुमति दी जाए । हम लोग सीबीआई से प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में हैं ।

ई.सी. 26.6.3: हाई कोर्ट आदेश

सिक्किम के हाई कोर्ट ने, रावंगला आस्था संघ द्वारा एमएचआरडी एवं अन्य के विरुद्ध दाखिल एक याचिका में, जिसमें सिक्किम विश्वविद्यालय भी एक प्रतिवादी है, अपने दिनांक 3नवम्बर 2016 के एक निर्णय में केंद्र सरकार द्वारा समय की मांग की स्वीकृति पर विचार नहीं किया तथा सीबीआई से विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली, अभियोगों एवं अनियमितताओं का परीक्षण करने एवं विधि के अनुसार उचित कार्रवाई करने को कहा गया है, साथ ही दिनांक 10 नवंबर 2016 को अगली तारीख निर्धारित की गई है । अपने दिनांक 10 नवंबर 2016 के आदेश में सिक्किम हाई कोर्ट ने सिक्किम विश्वविद्यालय का दिनांक 3 नवंबर 2016 के आदेश को संशोधित करने का अनुरोध नहीं माना गया तथा सीबीआई से मामले की परीक्षा करने एवं 4 सप्ताह के अंदर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया । सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर 2016 निर्धारित की गई है ।

ई.सी. 26.6.4: डा0 जयता सेनगुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा कदाचार

इस विषय पर कार्यसूची मद बैठक के दौरान सभी को परिचालित किया गया । अध्यक्ष ने सदस्यों को घटना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जैसा कि कार्यसूची मद में निम्नानुसार उपलब्ध किया गया है:

i. दिनांक 30 अगस्त 2016 को डॉक्टर जयत सेनगुप्ता द्वारा कुलपति को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अंग्रेजी विभाग के कुछ संकाय सदस्य एवं पीएचडी छात्रों के संबंध में मुद्दा उठाया गया था । दिनांक 1 सितंबर 2016 के अपने दूसरे पत्र में उसने विभाग में सुश्री सास्वतीसाहा, सहायक प्रोफेसर के व्यवहार के मुद्दे को उठाया । उन्होंने प्रशासन से ईमेल मीडिया के माध्यम से प्राप्त मुद्दों को भी उठाया तथा इच्छा जाहिर की कि ईमेल उन्हें सीधे प्रेषित किया जाए , क्योंकि वह एच ओ डी की कोई अनुलिपि नहीं है । डा0 जयता सेनगुप्ता ने अंग्रेजी विभाग के प्राय: अपने सभी सहकर्मियों के विरुद्ध अभियोग लगाया है , तथा इसमें प्रशासन को भी सामान्यता , भ्रष्टाचार एवं अनैतिक कार्य व्यवहारों का समर्थन करने का दोषी ठहराया है । उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया था, परंतु वह कोई उपस्थित ना कर सकी ।

ii. अंग्रेजी विभाग के सभी संकाय सदस्यों ने, जिनके विरुद्ध डॉक्टर जयता सेनगुप्ता मुद्दे उठाए हैं, सभी अभियोगों का खंडन करते हुए अपना प्रत्युत्तर दिया है। प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद,एच ओ डी, अंग्रेजी विभाग एवं डीन भाषाएं एवं साहित्य स्कूल का भी अभिमत मांगा गया । उन्होंने भी डॉक्टर जयता सेन गुप्ता के बारे में नकारात्मक अभिमत दिया ।

iii. प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद एच ओ डी, अंग्रेजी विभाग के दिनांक 11 जुलाई 2016 से 23 सितंबर 2016 तक चिकित्सा छुट्टी के दौरान, उन्होंने विभाग का प्रभार अगले वरिष्ठ व्यक्ति अर्थात डॉक्टर जयता सेनगुप्ता के पास छोड़ा। वह दिनांक 8 सितंबर 2016 तक विभाग का प्रभारी रही, जब वह डॉ रोजी चामलिंग, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा निम्नलिखित आधार पर प्रतिस्थापित की गई थी:

(क) अंग्रेजी विभाग के संकाय सदस्यों से दिनांक 1 जून 2016 का पूर्ववर्ती अभिवेदन, जिसमें विश्वविद्यालय से डॉ जयता सेनगुप्ता को प्रमुख के रूप में नियुक्त नहीं करने का अनुरोध किया गया था । इस अभिवेदन को कार्यकारी परिषद द्वारा भी नोट किया गया एवं प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद की प्रमुख के रूप में निरंतरता की अनुमति दी गई ।

(ख) भाषाएं एवं साहित्य स्कूल के डीन (प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद) का अभिमत अध्यादेश ओ ए-212 के खंड 1 के अंतर्गत मांगा गया था, जिसमें डॉक्टर जयता सेनगुप्ता के संबंध में प्रतिकूल अभियुक्ति दी तथा

(ग) डॉ रोजी चामलिंग को प्रभारी के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी।

(iv) डॉ जयता सेनगुप्ता को डॉक्टर रोजी चामलिंग, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा अंग्रेजी विभाग के प्रभारी के रूप में प्रतिस्थापन करते हुए दिनांक 8 सितंबर 2016 की अधिसूचना के जारी होने के बाद, डॉक्टर जयता ने दिनांक 9 सितंबर 2016 को एक ईमेल कुलपति को संबोधित तथा रजिस्ट्रार को प्रतिलिपि के साथ प्रेषित किया , जिसमें उन्होंने प्रभारी के "डम्मी पद" से कार्यमुक्त करने पर धन्यवाद दिया था , जिसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तथा अन्य विभागों की तरह इसे व्यावसायिक नैतिकता के बिना संचालित किया जाता है, जहां अनुपस्थित रहने वाला एच ओ डी एवं गैर-कार्यात्मक डीन का सतत् हस्तक्षेप बना रहता है। उन्होंने अंग्रेजी विभाग में अपने सहकर्मियों के बारे में "निम्न सामान्यता व्यक्तिगण" के रूप में उल्लेख किया । इस ईमेल में उन्होंने आगे कहा है कि चूंकि प्रशासन समान्यता का समर्थन करता है, तथा इसे विश्वविद्यालय के लिए एवं अनैतिक कार्य व्यवहारों के लिए दूलराता है, इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है । दिनांक 8 सितंबर 2016 को उन्होंने कुलपति के मोबाइल में अपने मोबाइल संख्या 8017147503 से 1 अपमानजनक SMS भेजा जो इस प्रकार है:

"आप निर्लज्ज हैं,महोदय! शर्म ! जिस प्रकार आपने भ्रष्टाचार को अभिप्रमाणित किया तथा जिस प्रकार अपमानजनक ढंग से आपने मुझसे व्यवहार किया, आई जी ए के प्रभाव में । नहीं जानती थी कि आप स्वयं एक विद्वान हो कर इतना नीचे गिर सकते हैं । मैं (प्रोफेसर सुब्बा एवं वी सीको लिख रही हूं । आपने विभाग का कत्ल कर दिया है और इसे कोई स्वागत योग्य नहीं मानेगा, यद्यपि कोई बोल नहीं सकता । इस विश्वविद्यालय एवं प्रशासन में सामर्थ्यवान विद्वान । मुझे तथा अन्य को रहस्यमय लगता है कि (आपने) उस व्यक्ति की गलती को कैसे अभी प्रमाणित कर दिया । जो कि एक बुरे व्यक्ति एवं खराब विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित है । व्यक्ति जो उन्हें जानते हैं । राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई स्थान नहीं है । अथवा राज्य स्तर पर। सिर्फ दार्जिलिंग उन्हें जानता है कि वह कितना भयानक है । क्यों? आपने इस बुरे व्यक्ति का समर्थन क्यों किया?" अपनी पहचान बताने का अनुरोध करने पर अगले दिन उसने उत्तर दिया,"आपके मृत अंतरात्मा की आवाज, मेरा नाम है : डी बाय"

(v) डॉ जयता सेनगुप्ता को दिनांक 16 सितंबर 2016 का कार्यालय ज्ञापन उप कुलपति को इस प्रकार का अपमानजनक एवं अनुचित SMS भेजने के लिए जारी किया गया था । उन्होंने SMS भेजने का खंडन किया तथा कहा कि उसका मोबाइल खो गया है तथा उसने इसे दिनांक 8 सितंबर 2016 को अपने कार्यालय ड्रावर में छोड़ दिया था । उस दिन उन्होंने करीब 4:00 बजे अपराहन को अथवा इसके पहले विभाग छोड़ा तथा दिनांक 9 सितंबर 2016 को उसने अपना मोबाइल अपने कमरे के ड्रावर में पाया, जब अपनी क्लासों के लिए वह वहां पहुंची। डॉ रोजी चामलिंग से अनुचित SMS के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने पुष्टि की कि डॉक्टर जयता सेनगुप्ता ने ही इस प्रकार का SMS भेजा है । डॉ रोजी चामलिंग ने आगे कहा की जयता ने अपना SMS उसी मोबाइल से 8 सितंबर 2016 की पूरी रात से लेकर अगली सुबह 1:48 पू0तक भेजती रही है ।

(vi) अंग्रेजी विभाग के संपूर्ण संकाय सदस्यों की ओर से डा0 जयता सेनगुप्ता के विरुद्ध एक सामूहिक शिकायत पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2016 भी प्राप्त हुआ है ।

परिषद ने उसके कदाचार एवं एक विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में अशोभनीय व्यवहार के मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया, विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई तथा चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि कुलपति डॉ जयता सेनगुप्ता से संबंधित शिकायतों एवं अन्य दस्तावेजों पर अध्ययन के लिए एक समिति गठित करें, जो कि अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह के आसपास प्रस्तुत करें । परिषद ने कुलपति को समिति की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर जयता सेनगुप्ता के विरुद्ध यथावांछित कार्रवाई करने में आगे बढ़ने के लिए भी प्राधिकृत किया तथा कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में इस मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

ई.सी. 26.6.5: वित्त अधिकारी द्वारा ई सी निर्णय की अवज्ञा

जब इस कार्यसूची मद को लिया गया वित्त अधिकारी से बैठक से बाहर जाने का अनुरोध किया गया । अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि दिनांक 17 मार्च 2013 की इसकी 16वीं बैठक में सांविधि 42 के अंतर्गत परिषद, अन्य विषयों के अलावा, स्कूलों के डीन, विभागों के प्रमुख, रजिस्ट्रार एवं लाइब्रेरियन के प्रति व्यय की स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन को अनुमोदित किया गया था । इन वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन विश्वविद्यालय द्वारादिनांक 17 अप्रैल 2013 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था । यद्यपि स्कूलों के डीन, विभागों के प्रमुख एवं लाइब्रेरियन इन प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग की स्वीकृति हेतु नहीं कर सके, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा विभागों को पर्याप्त निधि आवंटित नहीं की गई। इस प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग सिर्फ रजिस्ट्रार द्वारा ही किया गया।

वर्तमान वित्त अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, उन्होंने कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन पर आपत्ति उठाई तथा इस पर इस तर्क के कारण कार्रवाई नहीं किया कि उस समय शक्तियों का प्रत्यायोजन का मामला वित्त अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया था । स्कूलों के डीन,शैक्षणिक विभागों के प्रमुख, रजिस्ट्रार एवं लाइब्रेरियन साथ ही परीक्षा नियंत्रक के प्रति प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में अभिवृद्धि के संबंध में मामले पर दिनांक 16 मार्च 2016 को प्रशासनिक प्रमुखों के साथ कुलपति की बैठक में निर्णय लिया गया था। इस पर भी उनके द्वारा आपत्ति उठाई गई तथा कुलपति द्वारा स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद 25 अगस्त 2016 को अधिसूचित वित्त समिति की बैठक में इसे नहीं प्रस्तुत किया गया । वित्त अधिकारी कार्यकारी परिषद द्वारा 16वीं बैठक में अनुमोदित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित मामलों को भी वित्त समिति के समक्ष ले जाने में असफल रहा।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को यह भी सूचित किया कि वित्त अधिकारी को उनके द्वारा अपनी छुट्टी लेखा, टी ए बिल आदि में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए दिनांक 2 नवंबर 2016 को एक ज्ञापन जारी किया गया है । उन्होंने ज्ञापन पर जवाब देने के लिए 25 दिनों का समय चाहा है । उनके टी ए बिलों में कुछ अतिभुगतान का उल्लेख किया गया है।

परिषद ने इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों के प्रति अपनी दिनांक 17 मार्च 2013 को आयोजित 16वीं बैठक में अनुमोदित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन पर अपना संकल्प दोहराया तथा निर्णय लिया कि वित्त अधिकारी द्वारा आदेशों का अनुसरण किया जाए । परिषद ने कुलपति को यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्राधिकृत किया की अति भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,की वित्त अधिकारी से वसूली उनके कार्यकाल पूरा करने के पूर्व की जाए तथा यथा आवश्यक उचित कार्रवाई की जाए, यदि वित्त अधिकारी कार्यकारी परिषद के निर्णय की अवज्ञा में निरंतरता बरतते हैं ।

अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई

ह0/- ह0/-

(टी.के.कौल) **(प्रो.टी.बी. सुब्बा)**

रजिस्ट्रार एवं सचिव **कुलपति एवं अध्यक्ष्**